न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

69

प्रकरण क्रमांक /2002 पुन:रीक्षण - 1367-II/2002

मदनमोहन रावत पुत्र रामलाल रावत
निवासी ग्राम - ग्राम टीला तहसील मुंगावली
जिला गुना [म.प्र.] ..... आवेदक

विरूद्ध

[1] लखनलाल रावत पुत्र रामलाल रावत
निवासी ग्राम टीला तहसील मुंगावली, गुना
[2] मुकेश रावत पुत्र पुरूषोत्तम रावत
निवासी वार्ड नं. 4 मुंगावली जिला गुना
[3] श्रीमती राधा पत्नी पुरूषोत्तमदास रावत
निवासी वार्ड क्रमांक 4 मुंगावली जिला गुना
..... अनावेदकगण

प्रदीप श्रीवास्तव ... 13/6/02 ... द्वारा प्रस्तुत
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
13 JUN 2002

निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 09-05-2002 प्रकरण क्रमांक 62/95-96 अपील

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से विनम्र निवेदन करता है कि :-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार -

आवेदक ने इस आशय का आवेदन दिनांक 13.05.1992 को दिया था कि ग्राम टीला स्थित भूमि सर्वे नं. 112/1.777 है. व 394/4.424 हैक्टेयर श्यामसूर्ति, बद्रीप्रसाद, पुरूषोत्तम एवं लखनलाल के नाम शामिल शरीक दर्ज है । उक्त भूमि के 1/2 भाग पर उत्तर की ओर उक्त खातेदारों का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा आवेदक का पिता के समय से ही कब्जा रहा है । खातेदार श्यामसूर्ति की मृत्यु पश्चात अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 उसमें काबिज है । पुरूषोत्तम रावत की मृत्यु पश्चात अनावेदक क्रमांक 6 लगायत 11 उसमें वैध वारिश है उक्त वारिसानों का भी कब्जा कभी नहीं

....

16.2.16

16.2.16 .

आवेदक को अनावेदक कार्यालय
के लिये
पत्र पेश करने के अवसर
बार बार समय देने के उपरान्त
भी उनके द्वारा आवेदक का
जवाब पत्र स्वयं नहीं बनाया गया
तथा पत्र पर आदेश दिये गये
विनय पेशी पर
कि आगामी पेशी को पूर्व के
आवेदक को जवाब पत्र प्रस्तुत
करेंगे अन्यथा प्रकरण उसी स्तर
पर लागू किया जायेगा। अतः
प्रकरण आदेशों के पालन में
होने के कारण उसी स्तर पर
लागू किया जाता है

[illegible]
सदस्य

[कृ. प. उ.